मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत संविदा पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती (आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु)/सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा – 2009

(केवल मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए)

• ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि		16.11.2009
• ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि		16.12.2009
• परीक्षा दिनांक		31.01.2010 रविवार
• परीक्षा शुल्क	एक प्रश्न–पत्र हेतु :–	अनारक्षित/अ.पि.व. की अभ्यर्थियों के लिए : रू. 300/– अनु.जा./अनु.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिए : रू. 200/–
	दो प्रश्न–पत्र हेतु :–	अनारक्षित/अ.पि.व. की अभ्यर्थियों के लिए : रू. 500/– अनु.जा./अनु.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिए : रू. 300/–
उपरोक्त के अतिरिक्त एम.पी. ऑनलाईन का शुल्क रू. 50/– अतिरिक्त देय होगा।		

समय सारणी

परीक्षा दिनांक एवं दिन	परीक्षा प्रारम्भ समय	उत्तरशीट्स वितरण समय	उत्तरशीट में आवश्यक जानकारियॉ भरने का समय	प्रश्न–पत्र वितरण समय	प्रश्न–पत्र परीक्षण का समय	उत्तरशीट में उत्तर भरने का समय
31.01.2010 रविवार आंगनवाड़ी कार्यकताओं के लिए	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 बजे से	प्रातः 10:00 से 10:10 बजे तक (10 मिनट)	प्रातः 10:10 बजे	प्रातः 10:10 से 10:15 बजे तक (05 मिनट)	प्रातः 10:15 से दोप. 12:15 बजे तक (02 घंटे)
31.01.2010 रविवार सीधी भर्ती के लिए	दोपहर 3:00 बजे से	दोपहर 3:00 बजे से	दोपहर 3:00 से 3:10 बजे तक (10 मिनट)	दोपहर 3:10 बजे	दोपहर 3:10 से 03:15 बजे तक (05 मिनट)	दोपहर 3:15 से 5:15 बजे तक (02 घंटे)

टिप्पणी :–

- परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के समय से 15 मिनट तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी। इसके पश्चात् परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष छोड़ने के पूर्व ओ.एम.आर. उत्तरशीट वीक्षक को अनिवार्य रूप से सौंपना होगा।
- परीक्षा कक्ष में सेलुलर, मोबाईल फोन, केल्कूलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

अध्याय –1

महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत संविदा पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती (आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु)/सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा – 2009 (केवल मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए)

महत्वपूर्ण जानकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग में संविदा पर्यवेक्षक के निम्नानुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है। इन पदों की पूर्ति महिला वर्ग से ही की जाऐगी। अतः केवल महिलाएं ही आवेदन करें।
इन पदों की पूर्ति प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जावेगी। पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

		(अ) आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सीमित परीक्षा	(ब) खुली सीधी भर्ती
1.	अनुसूचित जनजाति	39	39
2.	अनुसूचित जाति	31	31
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	27
4.	अनारक्षित	97	97
	योग	194	194

नोटः– वर्ग अनुसार उक्त पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से सीमित परीक्षा हेतु दर्शित 194 पदों में अनुसूचित जनजाति हेतु 01 पद, अनुसूचित जाति हेतु 01 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 01 पद तथा सामान्य जाति हेतु 02 पद विकलांगों हेतु आरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार खुली सीधी भर्ती दर्शित 194 पदों में अनुसूचित जनजाति हेतु 01 पद अनुसूचित जाति हेतु 01 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 01 पद तथा सामान्य जाति हेतु 02 पद विकलांगों हेतु आरक्षित रहेंगे। इसके लिये अस्थिबाधित विकलांग ही पात्र होंगे। प्राविधिक रिक्तियों की दर्शायी गई संख्या कम या ज्यादा हो सकती है।

1. परीक्षा शुल्कः–

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को एक प्रश्न–पत्र हेतु 200/– रूपये एवं दो प्रश्न–पत्र हेतु 300/– रूपये तथा शेष श्रेणी के उम्मीदवारों को एक प्रश्न–पत्र हेतु 300/– रूपये एवं दो प्रश्न–पत्र हेतु 500/– रूपये की राशि एम. पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देय होगी। इसके अतिरिक्त 50/– रूपये प्रति अभ्यर्थी प्रोसेसिंग शुल्क भी एम.पी. ऑनलाईन को अतिरिक्त रूप से देय होगा।

2. परिभाषायें:–

"मण्डल" का अर्थ मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल से है।

3. सीधी भर्ती किये जाने वाले उम्मीदवारों की पात्रता संबंधी शर्ते

प्रतियोगी परीक्षा व्दारा चयन किये जाने का पात्र होने के लिये उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्ते पूरी करना होगी अर्थात :–

I. अर्हताऐं:–

1– म.प्र. का मूल निवासी हो।

2– (i) किसी पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार या तो :–

(क) भारतीय नागरिक , या

(ख) मूल रूप से भारतीय व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आ गया हो, या

(ग) नेपाल की प्रजा हो।

(ii) प्रवर्ग (ख) तथा (ग) के उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके पक्ष में राज्य सरकार व्दारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के अध्याधीन होगी।

(iii) प्रवर्ग (ख) के संबंधित उम्मीदवारों के बारे में पात्रता उनकी संविदा नियुक्ति की तारीख से केवल एक वर्ष की कालावधि के लिए वैध माना जाएगा और उसके बाद उसे सेवा में केवल तभी रखा जा सकेगा जबकि वह भारत का नागरिक बन गया हो तथापि निम्नलिखित प्रवर्ग में से किसी एक प्रवर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक नहीं होगा :–

(क) वे व्यक्ति जो भारत में 19 जुलाई 1948 के पूर्व पाकिस्तान से भारत में आ गये हो और मामूली तौर से तभी से भारत में निवास कर रहे हों।

(ख) वे व्यक्ति जो 18 जुलाई 1948 के बाद पकिस्तान से भारत में आये हो या अपने को नागरिकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत करा लिया हो।

(ग) ऐसे नागरिक जो भारत के संविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व , सरकार या स्थानीय अधिकारी सेवा में आए और तभी से ऐसी सेवा में बने रहे हों।

(घ) ऐसे उम्मीदवार जिनके कि मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, अंतिम रूप से इस शर्त के अध्याधीन नियुक्त किया जा सकता है, कि राज्य सरकार व्दारा अंततः उसके पक्ष में आवश्यक प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा।

II. शैक्षणिक आवश्यकतायें :–

संविदा पर्यवेक्षक के पदों में शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव संबंधी आवश्यकतायें निम्नानुसार होना आवश्यक हैः–

(1) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सीमित परीक्षा से भर्ती –

कमांक	अनुभव	योग्यता
1	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कम से कम विगत दो वर्ष का निरन्तर कार्य करने का अनुभव – संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र	10+2 के अंतर्गत हायर सेकण्डरी अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकण्डरी (11 वीं) परीक्षा उत्तीर्ण

(2) खुली सीधी भर्ती

- स्नातक

III. अनर्हताएः–

(1) किसी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास उसके चयन के लिए अनर्हताकारी माना जावेगा।

(2) ऐसी कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, ऐसी महिला संविदा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी।

(3) किसी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो के व्दारा स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात् अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाये तथा वह ऐसा प्रमाण–पत्र जारी करें।

(4) किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगाः–

(क) यदि उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के परिणमस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो।

(ख) यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो अथवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को शिकायत के आधार पर पद से पृथक किया गया हो।

(5) (क) जिस महिला ने विवाह की न्यूनतम निर्धारित आयु से पहले विवाह किया होगा उसे महिला एवं बाल विकास मे भर्ती के लिये अयोग्य माना जावेगा।

(ख) दिनांक 26.1.2001 के पश्चात जिन महिलाओं के संतानोपत्ति के कारण जीवित बच्चों की संख्या दो से अधिक हो गई हो ।

––0––

भाग– 1

आवेदन पत्र केवल विज्ञापन अनुसार निर्धारित प्रक्रिया से ही प्रस्तुत किए जावें

आवश्यक शर्ते :–

01. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक, मध्यप्रदेश शासन शासन के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र धारी हों।
02. खुली सीधी भर्ती से आवेदक का रोजगार कार्यालय मे जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
03. आवेदक को मण्डल की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
04. आवदेन–पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये डेटा के आधार पर टेस्ट एडमिट कार्ड मण्डल द्वारा जारी किया जायेगा। आवेदक के समस्त मूल प्रमाण–पत्रों/अर्हताओं का सत्यापन संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी दृष्टिगोचर होने पर आवेदक को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

    सभी आवेदक विज्ञापन दिनांक को आवेदित पद की अनिवार्य अर्हता तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्ते पूरी करते हों, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले इस बात से संतुष्ट हो लें कि वे संविदा पर्यवेक्षक पद के लिये न्यूनतम निर्धारित योग्यताए रखते हों। निर्धारित अनिवार्य योग्यताए न्यूनतम हैं तथा इनके होने मात्र से कोई उम्मीदवार चुने जाने के लिए हकदार नही ं हो जाता ।

05. <u>आयु</u>: आवेदक की न्यूनतम आयु दिनांक 1.1.2009 को 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु निम्नानुसार रहेगीः–
    (अ) अनारक्षित महिला उम्मीदवार के लिये 45 वर्ष।
    (ब) अनुसूचित जाति/जनजाति महिला उम्मीदवार के लिये 50 वर्ष।
    (स) अनारक्षित विधवा/ परित्यक्ता तथा तलाक–शुदा महिलाओं के लिये 50 वर्ष।
    (द) अनुसूचित जाति/जनजाति, विधवा/ परित्यक्ता तथा तलाक–शुदा महिलाओं के लिये 55 वर्ष।

06. विकलांग के लिए शासन आदेश अनुसार उचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही आरक्षण लाभ की पात्रता होगी।
07. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति के पूर्व संबंधित विभाग से निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
08. मूल निवासी प्रमाण–पत्र नायब तहसीलदार या उससे उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना आवश्यक होगा, अन्यथा अमान्य माना जायेगा।

<u>भाग –2</u>

चयन की विधि :

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग के ऊपर उल्लेखित पदों पर भरती के लिए मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा भोपाल, जबलपुर,इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं रीवा में लिखित परीक्षा आयोजित की जावेगी ।

(2) चयन केवल लिखित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा ।

(3) परीक्षा में निम्नानुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सीमित परीक्षा के लिए 100 अंकों का एवं खुली सीधी भर्ती परीक्षा के लिए 100 अंकों का प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।

    आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सीमित परीक्षा के व्दारा –

    (अ) प्रश्न पत्र कमांक – (I) विभागीय योजनाओं का कियान्वयन
    (II) सामान्य ज्ञान पर आधारित

    खुली प्रतियोगिता सीधी भर्ती

    (ब) प्रश्न पत्र कमांक – (I) एप्टीट्यूट
    (II) सामान्य ज्ञान पर आधारित

    परीक्षा में किसी प्रकार के केलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नही होगी। प्रश्न पत्र के लिये समय दो घण्टे पन्द्रह मिनिट रहेगा, जिसमें पन्द्रह मिनिट ओ.एम.आर. उत्तरशीट की प्रविष्टियां भरने के लिए रखी जायेंगी एवं दो घंटे में अभ्यार्थी को प्रश्नों के उत्तर उत्तरशीट में भरने होंगें । परीक्षा के स्थान की सूचना उम्मीदवारों को परीक्षा प्रवेश पत्र (टेस्ट एडमिट कार्ड, टी.ए.सी) में दी जायेगी, जिसे वह मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in से आवेदन–पत्र क्रमांक के माध्यम से डाउनलोड कर सकेगी। डाउनलोडेड टी.ए.सी. ही परीक्षा केन्द्र पर मान्य होगा।

(4) आवेदक पात्रता शर्ते, निर्धारित अनिवार्य योग्यताओं आदि को ध्यानपूर्वक पढ़ लें । परीक्षा में बैठने के लिए आवेदक की उम्मीदवारी पूर्णतः अनन्तिम तथा परीक्षा पश्चात् पात्रता की पड़ताल के अधीन होगी । किसी उम्मीदवार को लिखित परीक्षा देने की अनुमति देने पर उसे यह नही मान लेना चाहिए कि वह पद पर नियुक्ति के लिए पात्र है।

(5) महिला एवं बाल विकास विभाग चयन के लिए किसी भी चरण पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार रखता है, यदि यह इस विज्ञापन में निर्धारित प्रावधान के अनुसार नहीं हैं ।

(6) पद पर चयन की विधि के विषय में तथा आवेदक की पात्रता शर्तो के विषय में संचालक महिला एवं बाल विकास का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा । इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर ध्यान नही दिया जाएगा ।

(7) आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है।

भाग – 3

<u>पर्यवेक्षक के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु संपादित किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य अनुबंध की शर्ते :–</u>

1. चयनित उम्मीदवारों को म.प्र. में कहीं भी पदस्थ किया जा सकता है।
2. चयन उपरांत चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध निर्धारित प्रपत्र में निष्पादित करना होगा जो संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी/ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी व्दारा किया जायेगा।
3. पर्यवेक्षक सेक्टर का ''बेस लाइन सर्वे'' विभाग द्वारा कराया जावेगा। ''बेस लाइन सर्वे'' के द्वारा शिशु मृत्यु दर/मातृ मृत्यु दर/ कुपोषण/टीकाकरण/गर्भवती माताओं का रजिस्ट्रेशन, आदि आई.सी.डी.एस संबंधी इन्डीकेटर ''कार्य ग्रहण करने के पूर्व की स्थिति '' संबंधित आंकडे उपलब्ध करावाये जायेंगे । तथा प्रतिवर्ष बेस लाइन सर्वे में निर्धारित इन्डीकेटर का पुनः सर्वे के माध्यम सें तुलनात्मक परिवर्तन का आंकलन किया जावेगा। इसी आधार पर ही संबंधित पर्यवेक्षक का कार्य मूल्यांकन प्रतिवर्ष किया जावेगा व संविदा अवधी बढाए या समाप्त करने संबंधी निर्णय लिया जा सकेगा।
4. आई.सी.डी.एस.परियोजना अन्तर्गत में पूर्व निर्धारित नियम अनुसार पर्यवेक्षक मुख्यालय पर रहना आवश्यक है ।
5. प्रभार की समस्त आंगनबाडी केन्द्रों के सुचारू संचालन की पूर्ण जवाबदारी रहेंगी। माह में कम से कम 20 दिवस आंगनबाडी केन्द्रों का भ्रमण करना आवश्यक होगा।
6. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी तथा प्रभार ग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष के लिये की जा रही है । कार्य संतोषजनक पाये जाने पर एक दिवस का विराम दिया जाकर नवीन अनुबन्ध के लिये बजट के आधार पर अवधि बढ़ाई जा सकती है।
7. संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन रूपये 5,000/– देय होगा और इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महॅंगाई भत्ता, अतिरिक्त महॅंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता आदि की पात्रता नहीं होगी।
8. अनुबंध काल के दौरान 13 आकस्मिक एवं 3 ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी ।
9. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थानांतरणीय है एवं क्षेत्रीय कार्य हेतु ही मान्य होगी संविदा नियुक्ति किसी अन्य पर्यवेक्षक क्षेत्र के लिये किसी भी परिस्थिति में मान्य नही होगी।
10. संविदा की शर्तो के संबंध में कोई भी विवाद होने पर कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा

उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश :,

01 आवेदक यह नोट कर लें कि यदि उनके नियोक्ता से उन्हें लिखित परीक्षा देने से रोकने के विषय में कोई पत्र प्राप्त होता है तो ऐसे आवेदक के आवदेन पत्र तथा उसकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा ।

02 चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश संचालक, महिला एवं बाल विकास द्वारा जारी किए जाएंगे ।

03. चुने गये उम्मीदवारों को यथा समय परिणाम की सूचना संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी जायेगी इसलिये परिणाम के विषय में कोई अंतरिम पूछताछ अनावश्यक है और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा । महिला एवं बाल विकास विभाग नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के न चुने जाने के विषय में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

04. किसी भी प्रकार की सिफारिश को उम्मीदवार की अयोग्यता समझा जायेगा ।

05. आवेदकों को आवेदन पत्र भरने से पहले ''दिशा–निर्देशों'' को अवश्य पढ़ लेना चाहिए ।

06. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उन पर लागू होने वाला कोई प्रविष्टि खाली न छूट गया हो या गलत न भरा गया हो क्योंकि इससे दी गई सूचना का प्रयोग आवेदक को लिखित परीक्षा हेतु बुलाये जाने के लिए उसकी पात्रता व उपयुक्तता के विषय में निर्णय करने में किया जायेगा जो आवेदन पत्र सही नही भरे जायेगें तथा जो दिशा–निर्देशों के अनुसार नहीं होगा उन्हें रदद् किया जा सकता है और ऐसे रद्द किये जाने का दायित्व उम्मीदवार पर होगा मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल इस प्रकार रद्द किये गए आवेदन पत्र के विषय में किसी दावे पर ध्यान नहीं देगा ।

07. मध्यप्रदेश व्यापम किसी भी समय उम्मीदवार की पात्रता के विषय में पड़ताल कर सकता है । यदि पात्रता संतोषजनक नहीं पायी गई तो उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जायेगी।

08. परीक्षा संचालन के संबंध मे मध्यप्रदेश व्यापम का निर्णय अंतिम होगा।

09. किसी मान्यता प्राप्त संस्था/संगठन/केन्द्र/राज्य सरकार के स्वायत निकाय में सेवारत उम्मीदवारों को अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र नियुक्ति के पूर्व विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

10. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिखित परीक्षा हेतु उपस्थिति होने वाले अभ्यार्थीयों को नियमानुसार आने जाने का द्वितीय श्रेणी का रेल किराया अथवा साधारण श्रेणी का बस किराये की, टिकट प्रस्तुत करने पर, परीक्षा केन्द्र पर विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जावेगी ।

11. उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त योग्यताऍ निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए तथा उम्मीदवार को अपनी योग्यता किसी योग्यता के समकक्ष होने का दावा नहीं करना चाहिए ।

12. उम्मीदवार को अपनी आवेदन पत्र में ऐसी योग्यता के लिए आवेदन नहीं करना चाहिए, जिसके लिए उन्होनें परीक्षा दी है या जिसके परिणाम की प्रतीक्षा है, जिसका परिणाम रोक दिया गया है/ घोषित नही किया गया है ।

13. आरक्षी विभाग से चरित्र सत्यापन कराया जायेगा ।

14. चयन के संबंध में अंतिम निर्णय संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल का होगा ।

संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी एवं पर्यवेक्षक के बीच सम्पादित किये जाने वाला अनुबंध पत्र

मैं. सुश्री/श्रीमती.. जिला .... की एकीकृत बाल विकास परियोजना में संविदा पर्यवेक्षक हेतु जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी से अनुबंध करती हूँ कि मेरे द्वारा संविदा पर्यवेक्षक के रूप में निम्नलिखित जिम्मेदारियां एवं उत्तर दायित्व पूरे किये जावेगें :–

1. एक वर्ष में कम से कम दो सौ कार्य दिवसों में आंगनवाड़ी केन्द्रों का भ्रमण किया जाऐगा । भ्रमण किये जाने वाले आंगनवाड़ी केन्द्र पर प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 घण्टे का समय देकर उसकी सेवाओं में सुधार किया जाऐगा। परियोजना अधिकारी को प्रभावी प्रबंधकीय और अनुवीक्षण सहायता प्रदान करेगी।
2. सभी पात्र बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज कराया जाऐगा। आंगनवाड़ी के सभी बच्चों के शैक्षणिक स्तर के सुधार हेतु हर संभव प्रयास किये जायेगें । यह सुनिश्चित करेगे कि उनकी आंगनवाड़ी में दर्ज सभी बच्चे संतोषजनक स्तर तक उपलब्धि प्राप्त करें।
3. आंगनवाड़ी भवन निर्माण में जनभागीदारी सुनिश्चित कर निर्माण कार्य समय पर पूर्ण करायेगी।
4. सेक्टर की आंगनवाड़ियों का मासिक प्रतिवेदन तैयार कर परियोजना अधिकारी के साथ उस पर चर्चा करेगें एवं सुधार संबंधी आवश्यक कार्य करेगें।
5. नियमित रूप से समय पर आंगनवाड़ी का निरीक्षण करेगें एवं बच्चों को आंगनवाड़ी में उपस्थिति हेतु प्रेरित करेगें तथा बच्चों की उपस्थिति 90 प्रतिशत बनाये रखेगें। वे आंगनवाड़ी में उपलब्ध समस्त संसाधनों का यथायोग्य उपयोग करेगे, एवं आंगनवाड़ी को साफ–सुथरा व आकर्षक रखने हेतु आंगनवाडी कार्यकर्ता को निरन्तर सलाह दी जावेगी।
6. सेक्टर स्तर की बैठक नियमित की जावेगी। उसमें बच्चों के शैक्षणिक स्तर एवं पोषण में सुधार हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया जायेगा।
7. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र सर्वेक्षण करने, परिवारों की सूची बनाने, लक्ष्य समूह को पहचानने, ग्रामों में जन्म एवं मृत्यु का रिकार्ड (अभिलेख) तैयार करने तथा लाभ पाने वाले हितग्राहियों की सूची बनाने में सहायता एवं मार्गदर्शन दिया जावेगा।
8. अपने अधीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के आंगनवाड़ी कार्यर्ताओं से विचार विमर्श कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, व विभिन्न सेवाओं द्वारा लाभ पाले वाले व्यक्तियों की सूची के सही होने की जांच करना और इन सेवाओं के सही वितरण की देखरेख की जावेगी।
9. कुपोषित और बीमार बच्चों को पहचानने बच्चों की सही आयु एवं भार का अनुमान लगाने में तथा भार चार्ट में सही उम्र लिखने, संधारण दवाओं के बांटने में गंभीर दशा वाले बच्चों को पी.एच.सी. या उपकेन्द्र में भेजने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जावेगा। इस कार्य हेतु ब्लाक/खंड या क्षेत्रीय स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम चालऐं जाऐगें।
10. परियोजना के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों का महीने में कम से कम एक बार एवं आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों का छः सप्ताह में कम से कम एक बार दौरा/निरीक्षण करने का प्रयास किया जाऐगा।
11. घर–घर जाने, परिवारों से सम्पर्क करने, श्रम बैठके बुलाने के कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहयता दी जावेगी।
12. स्वास्थ तथा पोषाहार शिक्षा से संबंधित प्रचार सामग्री का उपयोग किया जावेगा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पोषण एवं स्वास्थ शिक्षा संचालन करने में मदद की जावेगी।
13. समय–समय पर प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्रों पर रिकार्ड (अभिलेखों)पंजीयों, रजिस्ट, नगद राशि, शेष माल तथा वस्तुओं की जांच की जाऐगी, और इस संबंध में उन्हें समय–समय पर सुझाव व मार्गदर्शन दिया जावेगा।
14. प्रतिमाह एकीकृत बाल विकास सेवायें (आई.सी.डी.एस.) योजना की प्रगति का पुर्नवलोकन कर और क्रियात्मक समस्याओं पर चर्चा और विचार करने और उनका समाधान करने के लिये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक चर्चा की जाऐगी।
15. आंगनवाड़ी कार्यर्क्ताओं को ग्राम स्तर पर महिला मण्डल तथा समन्वय समिति बनाने और चलाने एवं स्थानीय श्रेतों द्वारा कार्यक्रम के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में सहयोग दिया जाऐगा।
16. एक तरफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना व दूसरी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व स्थास्थ कर्मचारियों के बीच सम्पन्न सूत्र के रूप में कार्य किया जाऐगा।
17. आंगनवाड़ी हेतु वांछित एवं नैमेत्तिक सामग्री विभाग द्वारा यथा समय आंगनवाड़ी केन्द्र को मुहैया करायी जायेगी।
18. मेरी सेवाओं के बदले विभाग द्वारा मुझे 5000/– रूपये की एकजाई राशि एवं वास्तविक यात्रा भत्ता दिया जावेगा।
19. मेरा कार्य संतोष जनक न होने पर एक माह का नोटिस देकर मुझे सेवा से पृथक किया जा सकेगा।
20 संविदा आधार पर मेरी नियुक्ति प्रथम दो वर्ष के लिये होगी । कार्य संतोषजनक पाये जाने पर दो वर्ष के पश्चात एक दिवस का विराम दिया जाकर पुनः एक–एक वर्ष के लिये नवीन अनुबन्ध विभाग में उपलब्ध पद एवं बजट के आधार बढ़ाई जावेगी।

मैं उपरोक्त अनुबंध पर कायम रहूगीं एवं इस किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं करूगीं

संविदा पर्यवेक्षक के नाम एवं हस्ताक्षर

जिला कार्यक्रम अधिकारी/
जिला महिला एवं बाल विकास
अधिकारी के हस्ताक्षर

पाठ्यक्रम भाग –।
(आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु)

1. टीकाकरण
पोलिया, डिप्थीरिया, टिटनेस, ट्यूबर क्लोसेस, मिजल्स, आंगनवाड़ी के हितग्राहियों का टीकाकरण
2. पूरक पोषण आहार
कुपोषित एवं बीमार बच्चों की पहचान, ग्रोथ चार्ट का संधारण, पोषण आहार में पाचक तत्व का विवरण, प्रोटीन, कैलोरी एवं विटामिन, संधारन, पोषण आहार व्यवस्था
3. संदर्भ सेवाऐं –
क्या है ?, आंगनवाड़ी के हितग्राहियों को कैसे लाभ दियाला जाता है। आंगनवाड़ी केन्द्रों के संदर्भ सेवाओं हेतु व्यवस्था। में
4. स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा –
आंगनवाड़ी केन्द्रों पर किसे व कैसे दिया जाता है। सामुदायिक शिक्षा इत्यादि।
5. पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा –
क्या व्यवस्था है व आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कैसे प्रदाय किया जाता है।
6. स्वास्थ्य जांच –
कैसे कब और किसके द्वारा दिया जाता है।
7. आंगनवाड़ी संचालन –
आंगनवाड़ी संचालन से संबंधी सभी जानकारी
8. अन्य विभागीय योजनाऐं (महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाऐं) –
   1. झूलाघर
   2. शासकीय बाल संरक्षण गृह
   3. बालवाड़ी सह संस्कार केन्द्र
   4. जवाहर बाल भवन
   5. ग्राम्या
   6. शासकीय नारी निकेतन संस्थाऐं
   7. महिला उद्धार गृह
   8. राजकीय महिला अनुरक्षणगृह
   9. सिलाई कढ़ाई केन्द्र
   10. महिला वसति गृह
   11. महिला जागृति शिविर
   12. राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना
   13. बालिका समृद्धि योजना
   14. आयुष्मति योजना
   15. किशोरी बालिका

1. आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र सर्वेक्षण करने, परिवारों की सूची बनाने, लक्ष्य समूह को पहचानने, ग्राम में जन्म एवं मृत्यु का रिकार्ड (अभिलेख) तैयार करने, तथा लाभ पाने वाले हितग्राहियों की सूची बनाने में सहायता एवं मार्गदर्शन करना ।
2 कुपोषित एवं बीमार बच्चों को पहचानने बच्चों की सही आयु एवं भार का अनुमान लगाने में तथा भार चार्ट में सही उम्र लिखने, साधारण दवाओं के बाटने में, गंभीर दशा वाले बच्चों को पी.एच.सी. या उपकेन्द्र में भेजने में आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित और मार्गदर्शन करना ।
3 आंगनवाडी के कार्यो तथा कार्यकारी शिक्षा केन्द्रों का नियमित क्षेत्र भ्रमण द्वारा निरीक्षण करना । ग्राम परियोजनाओं और समस्त आंगनवाडी केन्द्रों का महीने में कम से कम एक बार एवं आदिवासी /पहाडी क्षेत्रों को छः सप्ताह में कम से कम एक बार दौरा /निरीक्षण करना।
4 घर–घर जाने, परिवारों से संपर्क करने, विभिन्न बैठक बुलाने के कार्यक्रम में आंगनवाडी कार्यकर्ताओं की सहायता करना ।
5 सरल व शिक्षाप्रद संदेश ,पोषाहार व स्वास्थ्यप्रद बनाना । स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षा से सबंधित प्रचार सामग्री का उपयोग करना । आंनवाडी कार्यकर्ता की पोषण एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने में सहायता करना ।
6 समय–समय पर प्रत्येक आंगनवाडी केन्द्रों पर रिकार्ड (अभिलेखों) पंजियों ,रजिस्टर, नगद राशि ,शेष माल तथा वस्तुओं की जांच करना।
7 प्रतिमाह एकीकृत बाल विकास सेवायें (आईसीडीएस) योजना की प्रगति का पुनरावलोकन कर ओर क्रियात्मक समस्याओं पर चर्चा और विचार करने और उनका समाधान करने के लिये कर्मचारियों की मासिक बैठक बुलाना ।
8 आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को ग्राम स्तर पर महिला मंडल तथा समन्वय समिति बनाने और चलाने में सहयोग देना तथा स्थानीय स्त्रोतों द्वारा कार्यक्रम के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में सहयोग देना ।
9 एक तरफ आंगनवाडी कार्यकर्ताओं व एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी के बीच सम्बंध स्थापित करना व दूसरी और आंगनवाडी कार्यकर्ताओं व स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच संपर्क सूत्र के रूप में कार्य करना ।
10 एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी को (सीडीपीओ) परियोजना , प्रशासन तथा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सहयोग देना ।
11 समुदाय का सर्वेक्षण करके हितग्राहियों की सुची बनाना । जिस समुदाय को सेवाएं प्रदान करनी है उसका सर्वेक्षण करके पता लगाना कि उसमे छः वर्ष के कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाऐं तथा दूध पिलाने वाली माताएं कितनी है परिवारों ओर परिवार के सदस्यों की संख्या तथा पारिवारिक आय के आकडें इकटठें करना । जनसंख्या सबंधी आकडें खासकर नये जन्म और मृत्यु (विशेषकर बच्चे और जच्चा की मृत्यु) का रिकार्ड रखें अपंग शोषित और निराश्रित बच्चों की भी सूची बनायें । यह सूचना इकट्ठी और समेकित करने में पर्यवेक्षक आंगनवाडी कार्यकर्ता का मार्गदर्शन और मदद करेगी ।
12 0–6 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती ओर दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक आहार प्रदाय।
13 महिलाओं, बच्चों और समुदाय को स्वास्थ्य तथा पोषाहार शिक्षा एवं महिलाओ और मॉ /बाप को जनसंख्या शिक्षा तथा सामुदायिक शिक्षा प्रदान करना ।
14 तीन से छःवर्ष के बच्चों को अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा देना ।

15 छः वर्ष से छोटे बच्चों, गर्भवर्ती ओर दूध पिलाने वाली माताओं को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा प्राथमिक सहायता प्रदान करना।

16 बच्चों में आरम्भिक अवस्थाओं में कमियों का पता लगाना तथा उन कमियों से होने वाली विकलांगताओं की रोकथाम करने में मदद करना।

17 आंगनवाडी में आने वाले बच्चों के माता पिता को घरेलू मुलाकातो के माध्यम से मिलना ओर उनसे कार्यक्रम में सहायता प्राप्त करने की कोशिश करना ।

18 टीका लगाने ओर स्वास्थ्य जांच करने में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करना ।

19 गंभीर रूप से अल्प पोषित/कुपोषित, बीमार बच्चों, छूत के रोगियों और विभिन्न प्रकार की कमियों वाले बच्चों को डाक्टर के पास भेजना।

20 रिकार्ड/रजिस्टर रखना खासकर वजन कार्ड , बाल स्वास्थ्य कार्ड, मातृ शिशु रक्षा कार्ड पुरक पोषाहार रिकार्ड , आंगनवाडी में उपस्थिति रिकार्ड आदि रखना ।

21 गांवों /शहरी गंदी बस्तियों की पंचायत महिला मंडल,विद्यालय, स्थानीय संगठन आदि जैसी संस्थाओं के साथ सम्पर्क रखना और समेकित बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम में उनकी सहायता ओर सहभागिता प्राप्त कर

22 आंगनवाडी के प्रागंण को साफ करना, आंगनवाडी केन्द्र के लिये पानी की व्यवस्था करना

23 गॉव से छोटे बच्चों को आंगनवाडी में इक्ट्ठा कर आंगनवाड़ी केन्द्र पर लाना ।

24 बच्चों को उनकी व्यक्तिगत ओर शौच सबंधी आदतों में सफाई का प्रशिक्षण देना

25 स्वास्थ्य सबंधी जांच, बच्चों का वजन लेने ओर गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों के टीकाकरण में आंगनवाडी कार्यकर्ता की सहायता करना,

26 सरल व्यजन तैयार करना, और बच्चों माताओं को परोसना

27 खाद्य पदार्थो की सफाई भंडारण पकाने की सही विधियों के माध्यम से उनकी पौष्टिकता बनाये रखना ,

28 बेकार आहार, छिलकों आदि का निपटान एवं एक छोटी शाक वाटिका तैयार करना,

29 बच्चों के सम्पूर्ण विकास तथा साज–सज्जा आदि की व्यवस्था करने के लिये सरल खेल और सृजनात्मक गतिविधियों की व्यवस्था ओर आयोजन करना,

30 लोक माध्यम इस्तेमाल करते हुए संगीत ओर अभिनय के साथ गाना गाने, कहानी सुनाने, नाटकीकरण आदि जैसी सामूहिक गतिविधियां आयोजित करना,

31 आंगनवाडी के कार्यक्रमों में माताओं की सहभागिता प्राप्त करना , माताओं में बच्चों के पोषाहार , स्वास्थ्य ओर खेल संबंधी जरूरतों के बारे में जानकारी पैदा करना,

इससे संबंधित पाठ्यक्रम अनुसार 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पुछे जावेगें

पाठ्यक्रम भाग –I
(खुली सीधी भर्ती हेतु)

(I) एप्टीट्यूट : इससे संबंधित पाठ्यक्रम अनुसार 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पुछे जावेगें

पाठ्यक्रम भाग –II
(सामान्य ज्ञान) (आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व खुली सीधी भर्ती दोनों के लिए)

1. मध्यप्रदेश का संक्षिप्त परिचय – क्षेत्रफल, जनसंख्या, संभाग,जिले, तहसील, विकासखण्ड, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष,

2. मध्यप्रदेश के प्राचिन नगरों के नवीन नाम – इंदौर,ग्वालियर , उज्जैन, भोपाल, विदिशा, धार, दतिया, महेश्वर, मंदसौर

3. मध्यप्रदेश के धार्मिक स्थल – ऊकारेश्वर, चित्रकुट, उज्जैन, अमरकंटक, महेश्वर, सांची, मुक्तागीरी, बावनगजा, पिताम्बर पीठ, पावनगीरी, सोनागीरी

4. मध्यप्रदेश के पर्यटक स्थल – भेड़ाघाट, पंचमढ़ी, माण्डू , धुआधार , चचाई, जल प्रपात, अमरकंटक

5. मध्यप्रदेश की प्रमुख नदियां – नर्मदा , चम्बल, सोन, ताप्ति, बेतवा, क्षिप्रा, कूनों, केन, तवा

6. मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण – बांधवगढ, कान्हाकिसली, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय, फासिल पार्क, बोरी, बगदरा, फेन, घाटीगांव, करेरा, गांधीसागर, केन घड़ियाल अभ्यारण, रातापानी, सरदारपुर, सैलाना,ओरक्षा

7. मध्यप्रदेश में खनिज एवं उद्योग – हीरा, मैगनीज, बाक्स साईट, लोहा, कोयला , तांबा ग्रेपाईट, क्वार्टज, जिप्सम, पिथमपुर , मेघनगर , मेनरी , मालनपुर , मण्डीदीप, बानमोर , मक्सी , जावरा

8. मध्यप्रदेश के लोक नृत्य/नाटक – पण्डवानी, माचा , कर्मा , राइस्वांग, काठी, स्वांग , नोटंकी, आल्हा, गणगौर, ढोलामारू, बंधाई , रीनानृत्य , बलमा नृत्य, चटकारो नृत्य, बगोरा नृत्य , मटकी नृत्य , लेहगीं नृत्य, बरेली नृत्य

9. मध्यप्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व – आचार्य रजनीश, डॉ.वसीर बद्र , डॉ.कृष्ण कमलेश , कान्ताबेन त्यागी , महार्षी महेश योगी, अटलबिहारी वायपेयी, माधवराव सिंधिया , कैलाशनाथ काटजू, डॉ. शंकरदयाल शर्मा , सैयद मुस्ताक अली , मेजर ध्यान चन्द्र , लता मंगेशकर , आशा भोसले , अशोक कुमार, उस्ताद अली अकबर खान, कुमार गंधर्व , उस्ताद निसार हुसैन खान, पवन करण , बंशी कौल, बिरजू महाराज

10. मध्यप्रदेश के मेले एवं सांस्कृतिक समारोह – सिंगाजी का मेला, तेजा जी का मेला, नागाजी का मेला, उज्जैन का सिहस्थ मैला, जोगेश्वरी देवी का मेला , धामोनी उर्स, हिराभुनिया का मेला, बरमान का मेला, चांदी देवी का मेला, सलकनपूर का मेला, खजुराहो नृत्य समारोह, कालीदास समारोह, तानसेन समारोह, धृपद समारोह, उस्ताद आरितखां संगीत समारोह, मालवा उत्सव, निमाड़ उत्सव, पदमाकर समारोह

उपरोक्त के आधार पर 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न

अध्याय – 2
मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल
निर्देश एवं परीक्षा संचालन नियम

महत्वपूर्ण :–

1.1 ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन काउंसिलिंग/साक्षात्कार/चयन के समय संबंधित विभाग/संस्था या भर्ती परीक्षा में संबंधित विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान करने के पूर्व किया जायेगा। अतः बाद में यदि यह पता चलता है कि आवेदक द्वारा गलत अथवा असत्य जानकारी अथवा किसी जानकारी को छुपाया है ऐसी स्थिति में किसी भी समय पर संस्था प्रमुख/संबंधित विभाग/म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा प्रवेश/चयन निरस्त किया जा सकेगा।

2.1 ऑनलाईन आवेदन–पत्र के साथ कोई भी प्रमाण–पत्र/दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना है, किन्तु साक्षात्कार/नियुक्ति के पूर्व समस्त प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों का सत्यापन मण्डल/विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी दृष्टिगोचर होने पर अभ्यर्थिता निरस्त समझी जायेगी।

2.2 स्क्रुटनी/ऑनलाईन आवेदन–पत्र का निरस्तीकरण :–

ऑनलाईन पद्धति से निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन–पत्रों की स्क्रुटनी निम्न बिन्दुओं पर की जायेगी :–

(i)	अभ्यर्थी का फोटो	(ii)	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	(iii)	श्रेणी
(iv)	संवर्ग	(v)	मूल निवासी	(vii)	जन्मतिथि
(vi)	पद जिसके लिए आवेदन किया गया है।				

उपरोक्त जानकारी रिक्त,गलत या अपूर्ण की स्थिति में आवेदन–पत्र निरस्त किया जायेगा।

2.3 निरस्त होने के कारणों की सूचनाः–

(i) मंडल कार्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र से संबंधित जानकारी मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर कर दी जायेगी। उक्त त्रुटि सुधार हेतु परीक्षा पूर्व तक एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत क्योस्क के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित त्रुटि सुधार शुल्क रू. 100/– एवं एम.पी. ऑनलाईन प्रोसेसिंग शुल्क रू. 50/– वेबसाईट www.vyapam.nic.in या www.mponline.gov.in पर जमा कर ऑनलाईन टेस्ट एडमिट कार्ड प्राप्त किया जा सकता है, जो कि परीक्षा केन्द्र पर मान्य होगा।

(ii) नियमानुसार निरस्त किये गये आवेदन–पत्रों की जानकारी, निरस्तीकरण के कारण सहित मंडल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर उपलब्ध करा दी जावेगी। इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में पृथक से सूचित नहीं किया जावेगा।

2.4 परीक्षा प्रवेश–पत्र (Test Admit card) :-

मण्डल कार्यालय में नियमानुसार मान्य आवेदन–पत्र के अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र (Test Admit card-TAC) जारी किए जायेंगे। अभ्यर्थियों को डाक द्वारा प्रवेश–पत्र प्रेषित नहीं किए जायेंगे। समस्त प्रवेश–पत्र मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दिए जायेंगे तथा अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन–पत्र क्रमांक का प्रयोग करते हुए प्रवेश–पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके आधार पर अभ्यर्थी सीधे परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। डाउनलोड किए हुए प्रवेश–पत्र को सत्यापित करवाने की आवश्यकता नहीं होगी।

नोट :– प्रवेश पत्र जारी होने के उपरांत किसी तरह का त्रुटि सुधार नहीं किया जायेगा एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर मण्डल ऑनलाइन आवेदन–पत्र को रद्ध/निरस्त/परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2.5 परीक्षा शहर :–

यह परीक्षा निम्नलिखित शहर में आयोजित की जायेगी :– भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं रीवा

2.6 परीक्षा हाल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री :–

प्रवेश–पत्र, काला बॉलप्वाइंट पेन।

2.7 इस परीक्षा में किसी भी प्रकार के Calculator उपयोग की मनाही है अर्थात् Scientific Calculator, Mobile Phone, Programmable Calculator, Watch Alarms, Listening Devices, Paging Devices (Beepers), Recording Devices, Protectors, Compasses, Scales आदि पूर्णतः वर्जित है।

2.8 परीक्षा के प्रश्न–पत्र :–

परीक्षा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सीधी भर्ती के पदों के लिए अलग–अलग एक–एक प्रश्न पत्र होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न–पत्र में 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प दिये रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंिधत गोले को ओ.एम.आर. उत्तरशीट पर काले बॉल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।

2.9 अनुचित साधन (Unfair means, UFM) :–

परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित कर लें कि सीट पर, सीट के निकट, कम्पास, स्केल या पॉकेट में कोई अवांछनीय सामग्री, कोई पुस्तक या कागज आदि नहीं है। इनका होना अनुचित साधनों का प्रयोग में लाना माना जाएगा एवं तदनुसार दण्डनीय होगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थियों से चर्चा करना, उनकी उत्तरशीट/प्रश्नपुस्तिका से नकल करना अथवा अपनी उत्तरशीट/प्रश्नपुस्तिका से अन्य परीक्षार्थियों से नकल करवाना, किसी अन्य परीक्षार्थी से इन्हें बदलना, कक्ष में बोलना या बताना आदि अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत माना जाएगा एवं न्थ्ड के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आगे बिना किसी अन्य सुनवाई के उसकी संपूर्ण परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। साथ ही, उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए, जो मंडल उचित समझे, मंडल की सभी परीक्षाओं से वंचित किए जाने का दण्ड भी दिया जा सकेगा।

2.10 त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में दिया गया अंक :– परीक्षा उपरांत मंडल द्वारा विषय विशषज्ञों से प्रश्नपत्र के प्रत्येक प्रश्न का परीक्षण कराया जाता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किसी प्रश्न को त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उस प्रश्न को निरस्त कर दिया जाता है। निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते है :–

1. प्रश्न की संरचना गलत हो।
2. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हों।
3. कोई भी विकल्प सही न हो।
4. यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्न के अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद में भिन्नता हो जिस कारण दोनों के भिन्न–भिन्न अर्थ निकलते हों और सही एक भी उत्तर प्राप्त न होता हो।
5. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो या एक से अधिक विकल्प सही हो। प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए सभी को इस प्रश्न–पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में मण्डल अंक प्रदान करता है। भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं।

उदाहरण स्वरूप यदि किसी 100 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में 2 प्रश्न निरस्त किए जाते हैं और मूल्यांकन के बाद यदि अभ्यर्थी 98 प्रश्नों में 81 अंक प्राप्त करती हैं, तो उसके अंकों की गणना निम्नानुसार होगी, जिसमें पूर्णांक में परिवर्तन के लिये 0.5 या उससे अधिक अंकों को एक तथा 0.5 से कम अंकों को शून्य गिना जावेगा।

$$\frac{81 \times 100}{(100-2)} = 82.65 = \text{Round Off } 83.00$$

2.11 मूल्यांकन पद्धति :–

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा। गलत उत्तर अंकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking) अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zero) अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जावेगा।

2.12 परीक्षा परिणाम का प्रकाशन :–

प्रवेश नियमों के आधार पर मण्डल द्वारा पात्र घोषित अभ्यर्थियों की सूची बनाई जाएगी। परीक्षा परिणाम मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर देखा सकता है। परीक्षा परिणाम मंडल कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध होगा। प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में परीक्षा परिणाम संबंधी विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

2.13 अंक सूची :

परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत सभी अभ्यर्थियों की अंकसूची मण्डल की वेबसाईट www.vyapam.nic.in पर अपलोड कर दी जायेगी। अभ्यर्थी वेबसाईट से डाउनलोड कर अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं। डाक से अंकसूची का प्रेषण नहीं किया जायेगा।

2.14 डुप्लीकेट अंकसूची :

इस परीक्षा में मण्डल द्वारा डुप्लीकेट अंकसूची प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है। उपरोक्त नियम क्रं. 2.13 में दर्शाये अनुसार अभ्यर्थी अंकसूची प्राप्त कर सकते हैं।

2.15 म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्य प्रवेश परीक्षा का संचालन एवं उसका परिणाम घोषित करना मात्र होगा :–

परीक्षा संचालन से संबंधित सभी नीतिगत विषयों का निर्धारण एवं निर्णय लेने का अंतिम अधिकार मण्डल का होगा। मण्डल अपने पास परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं मण्डल द्वारा किया गया कोई भी ऐसा संशोधन बंधनकारी होगा। अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम घोषित होने की दिनांक से छः माह पश्चात् परीक्षा से संबंधित अभिलेख नष्ट कर दिए जायेंगे।

2.16 अनर्हताऍं :–

1. जो महिला उम्मीदवार 18 वर्ष की आयु के पूर्व विवाहित हो।
2. 26 जनवरी 2001 के बाद की उम्मीदवार की तीसरी संतान हो। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनर्ह होंगे।
3. जिस आवेदक द्वारा :–
   - अ. पररूपण धार (इम्परसोनेशन) किया हो, या
   - ब. किसी महिला से पदरूपण धारण कराया हो–किया हो, या
   - स. फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो, या
   - द. चयन के किसी भी स्तर पर असत्य जानकारी दी हो, या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
   - इ. चयन प्रक्रिया में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो, धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचाई हो, या
   - ई. परीक्षा में किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो।

उपरोक्त प्रकार से दोषी पाए जाने वाली आवेदिकाओं को अपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी :–

(1) विभाग द्वारा उस चयन के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और या
(2) उसे स्थायी रूप से विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा :–
(क) विभाग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
(ख) राज्य शासन द्वारा या तथा उनके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा।
(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो, तो उपरोक्त नियमों के कार्यवाही की परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि :–
(अ) उम्मीदवार को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
(ब) उम्मीदवार द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया हो।
(स) प्रत्येक आवेदक से अपेक्षा है कि वह आवेदन–पत्र में सही जानकारी भरे। आवेदन–पत्र में दी गई जानकारी को ही मना जाएगा एवं इस संदर्भ में आवेदक की कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

2.17 क्षेत्राधिकार :–

किसी भी परीक्षा संचालन संबंधी नियमों/प्रक्रियाओं के विधि संबंधी विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकारी (Jurisdiction) मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित रहेगा।

–––0–––